दैनिक
न्याय साक्षी
छत्तीसगढ़-प्रादेशिक
रायगढ़, शनिवार 19 जून 2021
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में अब तक आज 147.7 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 147.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून से आज 18 जून तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिलें में सर्वाधिक 264.0 मिमी और दंतेवाड़ा जिले में सबसे कम 67.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 102.0 मिमी, सूरजपुर में 137.1 मिमी, बलरामपुर में 133.7 मिमी, जशपुर में 137.4 मिमी, कोरिया में 136.1 मिमी, रायपुर में 180.4 मिमी, बलौदाबाजार में 178.0 मिमी, गरियाबंद में 186.4 मिमी, महासमुंद में 164.9 मिमी, धमतरी में 187.2 मिमी, बिलासपुर में 146.9 मिमी, मुंगेली में 82.0 मिमी, रायगढ़ में 149.3 मिमी, जांजगीर चांपा में 165.8 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 185.3 मिमी, दुर्ग में 208.6 मिमी, कबीरधाम में 73.3 मिमी, राजनांदगांव में 85.0 मिमी, बालोद में 133.0 मिमी, बेमेतरा में 180.4 मिमी, बस्तर 109.3 मिमी, कोण्डागांव में 128.9 मिमी, कांकेर में 148.7 मिमी, नारायणपुर में 148.8 मिमी, सुकमा में 156.4 मिमी और बीजापुर में 159.0 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

अचानक नदी में पानी का स्तर बढ़ा, दो ट्रैक्टर डूबे

महासमुंद (आरएनएस)। केंद्रीय पर्यावरण के अनुसार रेत घाट 15 अक्टूबर तक बंद हो गए है, लेकिन अवैध उत्खनन अभी भी जारी है। गुरुवार सुबह जोंक नदी में रेत लेने ट्रैक्टरों की लाइन लगी थी। वहीं दो ट्रैक्टर पहले रेत भरने के लिए नदी पर उतरा। ट्रॉली में रेत भर रहे थे, अचानक जोंक नदी में पानी का स्तर देखते ही देखते बढ़ गया। इधर, रेत भरने वाले पानी के बढ़ने की स्थिति को भापते ही ट्रैक्टर व ट्रॉली छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग गए। बताया जा रहा है कि सुबह से करीब 40-50 ट्रैक्टर रेत निकाल लिए थे। सूत्रों की मानें तो नदी में सुबह कम पानी था, जिसके चलते रेत लेने ट्रैक्टरों की कतार लगी थी। सुबह दस बजे पानी की आवक को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। इधर, दो ट्रैक्टर व ट्रॉली नदी में डूब गए हैं। देर रात तक दोनों टैक्टर व ट्रॉली डूबी हुई थी। बता दें कि जिले में स्वीकृत रेत घाट अब 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस संबंध में एक दिन पहले जिला खनिज अधिकारी एचडी भारद्धाज ने दी थी। उन्होंने बताया था कि केंद्रीय पर्यावरण के नियमों के अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक रेत घाटों से खनन का कार्य बंद रहेगा। सभी ठेकेदारों को घाट बंद होने की सूचना दे दी गई है, यदि इसके बावजूद घाटों में अवैध उत्खनन हुआ तो उस कार्रवाई की जाएगी।

दुग्ध वाहन ट्रक से टकराई, हेल्पर की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। जिले के रतनपुर क्षेत्र के बेलपारा में दूध लेकर जा रहे एक मालवाहक सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराया। जिससे हेल्पर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके में पहुंची रतनपुर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि सतानंद पोर्ते 29 वर्ष ग्राम गतौरी थाना कोनी का रहने वाला था। वह माजदा दुग्ध वाहन में हेल्पर का काम करता था। बताया जाता है कि वाहन चालक पवन साहू और हेल्पर सतानंद दूध लेकर निकले थे तभी बेलपारा के पास चालक पवन ने वाहन में से नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराया। जिससे सतानंद के सिर पर गंभीर चोट आई थी। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।

कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले को मिली 226.96 करोड़ रूपए के अनेक विकास कार्यों की सौगात

» कोरबा में जल्द विद्युत भण्डार गृह प्रारंभ करने की घोषणा

» डबरा से खरसिया और गोपालपुर-बरबसपुर सड़क की स्वीकृति

» जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा में 132 केव्ही क्षमता के बिजली सब-स्टेशन का काम शीघ्र शुरू होगा

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कुछ साल पहले तक किसान कर्ज मांगने के लिए साहूकारों के दरवाजे पर खड़े रहते थे, सोसायटियों में किसान डिफाल्टर हो जाता था। हर साल खाद-बीज की चिंता रहती थी, लेकिन आज उनके चौखट में बड़ी-बड़ी फायनेंस कम्पनियां खड़ी है, कोई ट्रेक्टर देने तैयार है, कोई मोटर-सायकिल बेचना चाहता है। यह बदलाव राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और फैसलों से आया है। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले में लोकार्पण और भूमिपूजन के वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि किसान हितैषी योजनाओं से किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं। कर्जमाफी, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी जैसी योजनाओं से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। गरीबों और किसानों की जेब में पैसा आ रहा है। बड़ी-बड़ी कम्पनियों को मालूम है कि शहरों से ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ के गांवों में आ रहा है। फायनेंस कम्पनियां किसानों को ट्रेक्टर और अन्य उपकरणों के लिए तत्काल फायनेंस करने के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन के समय जब पूरे देश में मंदी थी, तब सबसे ज्यादा ट्रेक्टर और मोटर-सायकल छत्तीसगढ़ में बिक रही थी। बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले में 226 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत के 265 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने कोरबा जिले में लगभग 104 करोड़ रूपए की लागत के 121 कार्यों का और जांजगीर-चांपा जिले में 122 करोड़ 96 लाख रूपए की लागत के 144 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया।

मुख्यमंत्री बघेल ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर वर्चुअल कार्यक्रम में ही कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले में अनेक कार्यों की मंजूरी की घोषणा की। बघेल ने कोरबा में दर्रीबराज-गोपालपुर सड़क की जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरबा में दो माह में विद्युत भण्डार गृह प्रारंभ करने की मंजूरी के साथ गोपालपुर-बरबसपुर सड़क की स्वीकृति की घोषणा की।

राज्य में अब तक 33 हजार क्विंटल साल बीज का संग्रहण

» शुरूआती दौर में ही धमतरी तथा गरियाबंद का संग्रहण लक्ष्य से पार

रायपुर (आरएनएस)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में चालू वर्ष के दौरान अब तक 33 हजार क्विंटल साल बीज का संग्रहण हो चुका है। इसके शुरूआती दौर में ही वन मण्डल धमतरी तथा गरियाबंद का साल बीज संग्रहण लक्ष्य से पार हो गया है। अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ संजय शुक्ला ने बताया कि साल बीज संग्रहण के लिए वर्तमान में 20 रूपए प्रति किलोग्राम दर निर्धारित है।

इनमें अब तक वन मण्डल धमतरी में लक्ष्य 10 हजार क्विंटल के विरूद्ध 12 हजार 797 क्विंटल और वन मण्डल गरियाबंद में लक्ष्य 10 हजार क्विंटल के विरूद्ध 12 हजार 782 क्विंटल साल बीज का संग्रहण किया जा चुका है। इसी तरह वन मण्डलवार कांकेर में 1500 क्विंटल, जशपुर में 1353 क्विंटल, धर्मजयगढ़ में 1169 क्विंटल तथा मरवाही में 673 क्विंटल साल बीज का संग्रहण हो चुका है। वन मण्डलवार अब तक कवर्धा में 482 क्विंटल, जगदलपुर में 474 क्विंटल, कटघोरा में 392 क्विंटल, सूरजपुर में 333 क्विंटल तथा रायगढ़ में 325 क्विंटल साल बीज का संग्रहण किया गया है। इसके अलावा वन मण्डलवार बलौदाबाजार में 318 क्विंटल, नारायणपुर में 169 क्विंटल, सरगुजा में 165 क्विंटल, मनेन्द्रगढ़ में 62 क्विंटल, कोरबा में 13 क्विंटल तथा कोरिया में 5 क्विंटल साल बीज का संग्रहण हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर 1.29 प्रतिशत पर पहुंचा

» मौतों का आंकड़ा भी सिमटा, रिकवरी दर 98 प्रतिशत

» प्रदेश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीके के 74.34 लाख डोज लगे

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए किए गए प्रभावी उपायों से प्रदेश में संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। अभी प्रदेश में संक्रमण की दर गिरकर मात्र 1.29 प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं रिकवरी दर बढ़कर अब 98 प्रतिशत हो गई है। कोरोना से होने वाली मौतें भी थम रही हैं। पिछले एक सप्ताह के दौरान 76 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें कोमोरबिडिटी वाले 34 मरीज भी शामिल हैं। राज्य में कोरोना से बचाव के टीके की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक (17 जून तक) 74 लाख 33 हजार 759 टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए अभी 19 लाख 42 हजार 890 तथा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए एक लाख 79 हजार 580 टीके उपलब्ध हैं। प्रदेश के 25 जिलों में अभी संक्रमण दर 0.28 प्रतिशत से लेकर 2.89 प्रतिशत के बीच है। केवल कोरबा में 3.03 प्रतिशत, गरियाबंद में 3.46 प्रतिशत और बीजापुर में 4.59 प्रतिशत में ही संक्रमण की दर इससे अधिक है। कोरोना से होने वाली मौतों भी काफी कम हो गई हैं। प्रदेश भर में बीते सप्ताह के दौरान 11 जून को 15, 12 जून को 11, 13 जून को 6, 14 जून को 17, 15 जून को 8, 16 जून को 12 और 17 जून को केवल 7 मौतें हुई हैं। राज्य में कोरोना से बचाव के टीके की पहली और दूसरी खुराक को मिलाकर अब तक (17 जून तक) 74 लाख 33 हजार 759 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक तथा 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के कुल 62 लाख 30 हजार 957 लोगों को टीके की पहली खुराक और 12 लाख दो हजार 802 नागरिकों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। केंद्र सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों के लिए प्रदेश को कुल 83 लाख 28 हजार 070 टीके प्राप्त हुए हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा में 14 नए लोकपालों की नियुक्ति

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायतों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच एवं सुनवाई के लिए 14 नए लोकपालों की नियुक्ति की गई है। इन 14 लोकपालों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में 23 जिलों को शामिल किया गया है। नव नियुक्त लोकपालों द्वारा संबंधित जिला मुख्यालयों में पदभार ग्रहण कर लिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इन लोकपालों की नियुक्ति दो वर्षों की अवधि के लिए की गई है। इसे अच्छे कार्य-प्रदर्शन के आधार पर, दो बार क्रमशः एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है या 68 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए लागू होगी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रायपुर और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिए श्री सुनील राय, सरगुजा और सूरजपुर के लिए श्री मोहम्मद परवेज खान, बस्तर और कोंडागांव के लिए श्री रमेश कुमार राजपूत, बिलासपुर, मुंगेली और गोरेला-पेंड्रा-मरवाही के लिए श्री सुरेश सोनी, धमतरी और गरियाबंद के लिए श्री घना राम साहू, दुर्ग और बालोद के लिए सुश्री मीना चंदेल, कांकेर और नारायणपुर के लिए श्री अजय कुमार शर्मा तथा कबीरधाम और बेमेतरा के लिए श्री संजय श्रीवास्तव को लोकपाल नियुक्त किया गया है। श्रीमती रविजा सिंह को जांजगीर-चांपा, श्रीमती कल्पना पाण्डेय को कोरबा, श्री लाल बहादुर राठौर को रायगढ़, श्री राजू देवांगन को महासमुंद, श्री राणा प्रताप सिंह को जशपुर और श्री केदारनाथ यादव को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है।

❒ **ये शिकायतें की जा सकती हैं लोकपाल से-** केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत जारी लोकपाल के निर्देश के अनुसार कोई भी नागरिक मनरेगा के क्रियान्वयन में कमी का आरोप लगाते हुये ग्राम सभा की बैठक एवं उसकी कार्यवाही विवरण का संधारण, परिवारों का पंजीकरण और जॉब कार्ड जारी करना, जॉब कार्ड की अभिरक्षा (कस्टडी), काम की मांग, काम की मांग का आवेदन प्रस्तुत करने के सापेक्ष दिनांकित पावती रसीद जारी करना, मजदूरी का भुगतान, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजे का भुगतान, लिंग के आधार पर भेदभाव, कार्यस्थल पर सुविधाएँ, काम का मापन, कार्य की गुणवत्ता, श्रम विस्थापन मशीनों का उपयोग, ठेकेदारों को लगाना, बैंक या डाकघरों में खातों का संचालन, शिकायतों का पंजीकरण एवं निपटारा, मस्टर रोल का सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन, निधियों का उपयोग, निधियों की मुक्ति (रिलीज), सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से सामने लाई गई कोई कपटपूर्ण गतिविधि, रिकार्ड का रखरखाव व संधारण एवं मनरेगा के अधिनियम या अनुसूची में सुनिश्चित किसी पात्रता से वंचित करने जैसे एक या एक से अधिक विषयों पर अपनी शिकायत योजना के तहत कार्यरत लोकपाल से कर सकता है।

मुठभेड़ में वर्दीधारी महिला नक्सली मारी गई

» शव के साथ 1 एके-47 के अलावा 2 पिस्टल, एक 12 बोर बंदूक, 1 भरमार बंदूक बरामद

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाके चांदामेटा और कुमाकोलेंगे की पहाड़ियों के बीच आज सुबह 08 बजे हुई मुठभेड़ में जवानों की गोलियों से एक वर्दीधारी महिला नक्सली मारी गई है। सर्चिंग के दौरान महिला नक्सली का शव के साथ 05 हथियार मिले हैं, जिसमें 01 एके-47 के अलावा 02 पिस्टल, एक 12 बोर बंदूक, 01 भरमार बंदूक बरामद किया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला बस्तर एवं जिला सुकमा के सरहदी क्षेत्र चांदामेटा, पटेलपारा, गदमेपारा, अण्डलपारा, तुलसी डोंगरी व पयारभांट में कांगेरघाटी एरिया कमेटी के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर जिला बस्तर एवं दंतेवाड़ा की डीआरजी टीम, जिला पुलिस बल सुकमा, सीआरपीएफ 80वीं वाहिनी एवं 227वीं वाहिनी को रवाना किया गया था। इस दौरान सुबह 08 बजे चांदामेटा एवं पयारभाट जंगल के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव, के साथ ही 01 एके-47 रायफल, 02 पिस्टल, एक 12 बोर बंदूक, 01 भरमार बंदूक एवं भारी मात्रा में नक्सली कैम्प की सामग्री बरामद किया गया है।

बीए की डिग्री को किनारे रख शुरू की खेती, अब 40 लोगों को दे रहे हैं रोजगार

» दो एकड़ किराये की जमीन से शुरूआत की थी, आज 20 एकड़ में ले रहे फसल

रायपुर (आरएनएस)। कोई शब्द ऐसा नहीं है, जिससे मंत्र न बन सकता हो। कोई वनस्पति ऐसी नहीं है, जिससे औषधि न बन सकती हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो किसी काम न हो।- अपनी इसी सोच के साथ सुरेश निर्मलकर ने अपनी बेरोजगारी की चिंता को ताक पर धर कर खुद ही खुद के पैरों पर खड़ा होने की ठानी थी। बीए की डिग्री लेकर कभी नौकरी के लिए यहां-वहां भटका करते थे, आज 40 लोगों को स्वयं रोजगार दे रहे हैं।

कोरबा जिले के सुरेश निर्मलकर ने जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्हें नौकरी तलाशने के बजाय खेती करने की सलाह उद्यानिकी विभाग से मिली थी। सहयोग का आश्वासन भी मिला था। शुरुआत में 2 एकड़ जमीन किराए पर लेकर खेती शुरू की। पहली ही बार में 6 लाख रुपए का खीरा और 2 लाख रुपए की बरबट्टी बिक गई। उत्साह बढ़ा तो और जमीन किराये पर ले ली। आज 20 एकड़ में खेती कर रहे हैं। बीज से लेकर सिंचाई व्यवस्था तक उन्हें राज्य सरकार के उद्यानिकी विभाग से मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री ने निर्मलकर को बधाई देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का आपने भरपूर लाभ लेकर न सिर्फखुद स्वावलंबी बने बल्कि दूसरों को भी रोजगार देकर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है।

आशा एवं स्माईल योजना के तहत कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने पर हितग्राहियों को मिलेगा ऋण

रायपुर (आरएनएस)। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर द्वारा कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया के मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है।

परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई हो तो उनके उस परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाना है। योजनांतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये अधिकतम राशि 5 लाख रूपये का ऋण दिया जायेगा, जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा। इस योजना के तहत रायपुर जिले का ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग समुदाय के हो तथा जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रूपये तक होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

ज्ञात हो कि इस योजना के तहत मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये अर्थात् रोटी कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में था। ''रोटी कमाने वाला'' उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी आय कुल घरेलू आय में सबसे अधिक अनुपात में योगदान करती है। कोविड-19 द्वारा रोटी कमाने वाले की मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र या श्मशान भूमि/कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद को मान्य किया जाएगा। यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है। जिला अंत्यावसायी के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। यह ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर प्रतिमाह किश्त के रूप में वसूली की जाएगी। इसके लिए पात्र आवेदक अविलम्ब आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर 2 जुलाई 2021 तक कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्या. रायपुर (छ.ग.) कक्ष क्रमांक-34 में निर्धारित अवधि में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के मूर्धन्य विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU